



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक 402/डिग्री/2017

02/03/17
दिनांक 03.03.2017

डिग्री/डिप्लोमा ऑनलाइन आवेदन संबंधी
परिपत्र

सामान्यतः यह देखने में आ रहा है कि डिग्री/डिप्लोमा हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों द्वारा अपना पूरा नाम व उपनाम (सरनेम) नहीं भरा जा रहा है। विशेषकर हिन्दी भाषा में नामों की वर्तनी में गलत भरी जाती है, इसके कारण डिग्री/डिप्लोमा मुद्रण में त्रुटियों की संभावना होती है। अतः आवेदकों से आग्रह किया जाता है कि वे आवेदन भरते समय विशेष सावधानी रखें एवं निम्न पूर्तियों को विशेष रूप से अवश्य जाँच लें कि—

1. अंग्रेजी नाम सरनेम सहित हो, जैसा कि अंकसूची में दिया गया हो।
2. हिन्दी नाम उपनाम सहित सही वर्तनी के साथ हों। नाम अंकसूची के अनुसार देना आवश्यक है।
3. उत्तीर्ण वर्ष सही हो। बैंगलाय विद्यार्थी का उपाधि पूर्ण करने का उत्तीर्ण वर्ष वह माना जाएगा, जिसमें उसने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि – क्रमांक 402/डिग्री/2017/भोपाल

दिनांक 03.03.2017

1. निज सचिव—कुलपति, कुलाधिसचिव, कुलसचिव।
 2. समस्त विभागाध्यक्षगण।
 3. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचित करने के अनुरोध सहित।
 4. प्रभाषी—नोएडा परिसर, खण्डवा परिसर, ग्वालियर परिसर, अमरकंटक परिसर।
- वेबमास्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव